कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- QC/173 दिनांक : 16.2.16

उपनिदेशक (ए.सी.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

विषय :– निविदा संख्या क्यू.सी./01/2015–16 दिनांक 15.02.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित निविदा सूचना के साथ प्राधिकरण की वेबसाईट www.jodhpurjda.org पर संलग्न एच शेड्यूल प्रदर्शित (Upload) करने का श्रम करें।

अधिशाषी अभियंता (गुणवता नियंत्रण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

वेबसाईट पर अपलोड करें

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

निविदा सूचना संख्या/क्यू.सी./01/2015–16

"एच" अनुसूची

बरकतुल्लाह खां स्टेडियम परिसर में वार्षिक अनुबंध पर साफ–सफाई कार्य की निविदा की शर्तें :–

1. निविदा में भाग लेने के लिए संवेदको की योग्यता राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 39 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगी।
2. प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व निविदा शर्तें पर भलीभांति अध्ययन कर लें क्योंकि अनुबन्ध अवधि के दौरान इन शर्तों की पालना की जानी आवश्यक है।
3. यदि किसी निविदादाता को इन शर्तों के संबंध में शंका होने पर अधिशाषी अभियंता (जोन–गुण. नियंत्रण) जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते है।
4. किसी भी बिन्दु पर विवाद की दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता/संविदाकार को मान्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा प्रलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर उसकी सहमति के प्रमाण हेतु हस्ताक्षर करने होगे।
6. स्थल पर कार्य सम्बन्धित इंचार्ज के निर्देशानुसार करना होगा
7. निविदादाताओं को राजकीय कार्यालय/राजकीय निगमों एवं राजकीय उपकमों के कार्यालय भवनों के सफाई कार्यों के अनुभव होना चाहिए इस हेतु विभागाध्यक्ष संस्थान प्रधान द्वारा जारी किया गया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा की कार्य अवधि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की होगी परन्तु प्रारम्भिक कार्यादेश दो माह के लिए दिया जायेगा। कार्य संतोष जनक होने की दशा में उसमें वृद्वि की जा सकेगी। अनुबन्ध अवधि की आवश्यकता पडने पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अनुसार बढाया जा सकता है। संवेदक इसके लिए बाध्य होगा।
9. अनुबन्ध अवधि के दौरान संविदाकार को अपने श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उनमें श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना होने पर उनके विरूद्व कानूनी कार्यावाही की जा सकेगी। श्रमिकों के प्रति जोधपुर विकास प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
10. संविदाकार की दी गई सेवाओं का भुगतान प्रतिमाह कार्य संपादन के आधार पर किया जायेगा। जिसमें नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर/बिकी कर /सेवाकर/अन्य की वसूली की जावेगी। संवेदक द्वारा देय सेवाकर को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक स्वंय उठायेगा।
11. संविदाकार अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि बीच में कार्य छोडकर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा में निम्नाहस्ताक्षरकर्ता को उसकी रिस्क एवं कोस्ट पर जोधपुर विकास प्राधिकरण की सफाई व्यवस्था हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का अधिकार होगा।
12. स्वीकृत ठेके या उसके किसी भाग को अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति संस्थान या समूह को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

13. स्वीकृत ठेके या उसके दौरान संविदाकार को स्टेडियम में कार्य तथा अपने सभी श्रमिकों को आवश्यक पहचान पत्र, एक सी युनिफार्म उपलब्ध करवानी होगें। इस संबध में संविदाकार को ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देनी होगी। जिसके अनुसार श्रमिकों को स्टेडियम परिसर में कार्य पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जा सकेगा।
14. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. अनुबन्ध अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में संविदाकार को कार्यादेश में वर्णित कार्य अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। जिसके लिए दी जाने वाली दरों का निधारण आपसी बातचीत के द्वारा किया जायेगा।
16. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध करते हुए यदि श्रमिक के साथ किसी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना होती है तो ऐसी दशा में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिये संविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. कार्यादेश जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार दिया जायेगा। कार्य में वृद्वि/कमी जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
18. किसी भी सफाई कर्मी द्वारा मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया जायेगा एवं अभद्रता दुर्व्यवहार एवं किसी प्रकार की ईनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा। अन्यथा ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
19. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्यरत श्रमिकों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना होगा तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखेगा।
20. स्टेडियम के परिसर, टॉयलेट आदि के लिए सफाई हेतु प्रयोग में ली जाने वाली सम्पूर्ण सामग्री का वहन संवेदक को स्वयं के स्तर पर करना होगा।
21. कार्य अवधि के दौरान स्टेडियम का कोई सामान चोरी होता है तो उसका उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
22. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागु होंगे।

उपरोक्त शर्तें मुझे मान्य है।

अधिशाषी अभियन्ता (गुणवता नियंत्रण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा संख्या :– क्यू.सी./01/2015–16

"एच" अनुसूची

कं. सं.	कार्य का विवरण एवं स्थान	संख्या	प्रति माह दर (अंकों में) (निविदादाता द्वारा दर भरी जानी है)	प्रति माह दर (शब्दों में) (निविदादाता द्वारा दर भरी जानी है)
1.	बरकतुल्लाह खां स्टेडियम, जोधपुर परिसर के क्षैत्र, कमरे, हॉल, टॉयलेट, पेवेलियन, नहर, सीढियां, मैदान तथा बाहरी क्षैत्र पानी की टंकी की सफाई कार्य एवं कचरा स्टेडियम परिसर से बाहर निस्तारण हेतु (वार्षिक अनुबंध पर) [मय अकुशलश्रमिक–8, जूनियर सुपरवाईजर –1 (एक्सीपीरियन्स्ड) गेड–द्वितीय मय फिनाईल, ब्लीचिंग प्लाउडर, पन्नी, झाडू, ब्रूम, गोवा, हार्पिक, मूपर (पोछा/धुलाई वाले), साबुन इत्यादि मय कचरे को ट्रेक्टर के द्वारा सही स्थान पर निस्तारण करना, (मय यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीकल डिवाईस एण्ड गियर्स एटसेटरा, फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर एण्ड सेप्टिक टैंक)]	12 माह	रूपए .... प्रतिमाह	अक्षरे रूपए .... प्रतिमाह

नोट :– दरें सभी करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता (गुणवता नियंत्रण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

मैनें/हमने निविदा की सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है। उपरोक्त शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात् हमारे द्वारा दरे प्रस्तावित की गई है। जिसके लिए हम बाध्य है।

हस्ताक्षर मय रबड़ मोहर
(निविदादाता)